

अति आवश्यक स्मरण पत्र



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:- एफ 1(14)पंरावि/लेखा/निआ/राजस्व/विविध/2016

20307

जयपुर, दिनांक:-

07-12-2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्- समस्त ।


विषय:-पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित राजस्व की सूचना प्रेषित कराने बाबत
State Level information required URGENTLY

संदर्भ:- विभागीय पत्र क्रमांक 19915-16 दिनांक 28.11.2016 एवं दिनांक 30.11.2016
एवं समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की मिटिंग दिनांक 30.11.2016 को
दिये गये निर्देशों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निजी आय की सूचना की
निम्नांकित प्रपत्र में तत्काल सूचना चाही गयी थी किन्तु अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है :-

संस्था	01.04.2015 to 30.11.2015	01.04.2016 to date
1.जिला परिषद्		
2.जिले की समस्त पंचायत समिति		
3.जिले की समस्त ग्राम पंचायत		

पंचायत राज विभाग भारत सरकार द्वारा चाही जा रही यह सूचना आप द्वारा 05.12.2016 तक
भिजवाई जानी थी लेकिन आदिनांक तक किसी भी जिले से सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः पुनः निर्देशित
किया जाता है कि उपरोक्त दिये गये प्रपत्र में सूचना 09.12.2016 तक अनिवार्यतः भिजवाया जाना
सुनिश्चित करावे ताकि तदानुसार सूचना भारत सरकार को भिजवाई जा सके।


शासन सचिव एवं आयुक्त